प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,
मण्डलीय समिति,अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र
प्रीतिविहार,नई दिल्ली।

पत्रांकः–एस0टी0/एन0ओ0सी0/1820-36/2013-14 दिनांकः 27-06-2013

विषय– अलीगढ़ मण्डल में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या–1916(1)/15–7–09–1(299)/2007 दिनांकः 14–07–2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांकः 26–06–2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार आर0बी0एस0 पब्लिक स्कूल, सौंगरा, मुरसान, हाथरस को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

प्रतिबन्ध–

1–विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2–विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक,सदस्य होगा।

3–विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4–संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5–संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

6–कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7–राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे,संस्था उनका पालन करेगी।

8–विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9–विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा विद्यालय की भूमि भवन यदि विद्यालय के नाम न हो तो विद्यालय के नाम करायें।

10–नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाये।

11–उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

12–संस्था प्रबन्धक [illegible] लिए 29 वर्ष [illegible] माह दिखाया गया है, [illegible] लिए राजस्व [illegible] करें।

Rkumar
Manager
R.B.S. Public School
Mursan (Hathras)

PRINCIPAL
R.B.S. Public School
Mursan, Hathras (U.P.)

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(टी० वेंकटेश)
मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
अलीगढ मण्डल अलीगढ

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ

कार्यालय– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,अलीगढ

पृष्ठांकन संख्या एस०टी०/एन०ओ०सी०/1830-36/2013–14 तद् दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–सचिव,(माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र०शासन,शिक्षा–7 अनुभाग लखनऊ।
2–मण्डलायुक्त,अलीगढ।
3–शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०,18 पार्क रोड लखनऊ।
4–जिलाधिकारी हाथरस।
5–जिला विधालय निरीक्षक, हाथरस।
6–प्रबन्धक,सम्बन्धित विधालय।
7–गार्ड फाइल हेतु ।

27.6.13
डा० (अंजना गोयल)
सचिव / सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ।

Manager
R.B.S. Public School
Mursan (Hathras)

PRINCIPAL
R.B.S. Public School
Mursan, Hathras (U.P.)